

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या प्र02 वि01 53/2004 - 1712

खाद्य, पटना / दिनांक - 04.04.18

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक 16265 दिनांक 28.02.2018 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4058 दिनांक 26.03.2018 के द्वारा श्री वायुनंदन लाल श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई की सेवाएं निबंधक राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पदस्थापन हेतु सौंपी गयी है। श्री निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Shree
04/4

(चन्द्रशेखर, मा0 प्र0रा0)

निदेशक-सह-अपर सचिव

संख्या प्र02 वि01 53/2004 1712

खाद्य, पटना / दिनांक - 04.04.18

प्रति लिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजाबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Shree
04/4

निदेशक-सह-अपर सचिव

संख्या प्र02 वि01 53/2004 1712

खाद्य, पटना / दिनांक - 04.4.18

प्रति लिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना / महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, पटना / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं श्री वायुनंदन लाल श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shree
04/4

निदेशक-सह-अपर सचिव

संख्या प्र02 वि01 53/2004 1712

खाद्य, पटना / दिनांक - 4.4.18

प्रति लिपि - अध्यक्ष, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना, आर0 ब्लॉक, पटना / निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आर0 ब्लॉक, पटना / सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, एवं कंधागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shree
04/4

निदेशक-सह-अपर सचिव

संख्या प्र02 वि01 53/2004 - 1712

खाद्य, पटना / दिनांक - 4.04.18

प्रति लिपि - मा0 मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभाग स्थित सभी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shree
04/4 / XVIII

निदेशक-सह-अपर सचिव